सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (राज.)
पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 8/2018

बउनवान

श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां

(प्रार्थी)

बनाम

श्री विष्णु प्रसाद गौत्तम उम्र 40 वर्ष पुत्र बाबूलाल जाति ब्राह्मामण निवासी मकान नं0 378 वार्ड नं0 11 कोटा रोड बारॉ **(मालिक एवं विक्रेता)** मैसर्स विष्णु डेयरी कोटा रोड बारॉ जिला बारॉ

(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :— 1— श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2— श्री महेश प्रकाश गौत्तम अभिभाषक (अप्राथी)

निर्णय दिनांक 18.12.2018

प्रकरण श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 9.6.2017 को मैसर्स विष्णु डेयरी कोटा रोड बारॉ पर पहुंचा। वहॉ पर श्री विष्णु प्रसाद गौत्तम उम्र 40 वर्ष पुत्र बाबूलाल जाति ब्राह्मामण विक्रेता की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 9.6.2017 को कार्या. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अनतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहॉ पर खाद्य पदार्थ Pastuerised Deodorised Full Cream Milk (Kota Fresh Gold) जो लगभग 500 मि0ली0 की 20 थैलियो मे विक्रय हेतु रखी हुई थी। मैने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। उक्त खाद्य पदार्थ मे मिलावटी व मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु मालिक को अवगत कराया गया। नमूना जॉच हेतु लेने का सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति संलग्न है।

उक्त खाद्य वस्तु Pastuerised Deodorised Full Cream Milk (Kota Fresh Gold) मे से 500 मि0ली0 के 4 पोलीपेक थेलिया वास्ते नमूना जॉच हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को 100/- रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है।

आवेदक ने खरीदशुदा Pastuerised Deodorised Full Cream Milk (Kota Fresh Gold) 500 मि.ली. के 4 पोलीपेक थेलियो को खोलकर चार नमूना भागो मे विभक्त कर विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी सकडे मुह की शिशिया दिखाकर प्रत्येक नमुना भाग को प्रत्येक शिशि मे डाला एवं प्रत्येक नमुना शिशियो मे बतोर परीरक्षक फार्मलीन की 40-40 बूंद डालकर ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक शिशि पर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.-733 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना शिशियो को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना शिशि पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच. 733 नियमानुसार चारो नमूना शिशियो पर नीचे से उपर तक गोलाई मे गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना शिशि पर विक्रेता एवं गवाहो के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे तथा मेने भी नमूना शिशियो पर हस्ताक्षर कर चारो नमूना शिशियो को अपने जाप्ते मे लिया।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की ओर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारां के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2017/157 दिनांक 27.6.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विशलेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक/443/एफएसएसए/कोटा/एक्ट/2017/453 दिनांक 22.6.2017 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, Pastuerised Deodorised Full Cream Milk (Kota Fresh Gold) 500 मि.ली. अवमानक (Sub Standard) होना पाया गया।

उक्त केस मे श्री विष्णु प्रसाद गौत्तम उम्र 40 वर्ष पुत्र बाबूलाल जाति ब्राह्मामण (विक्रेता व मालिक) मैसर्स विष्णु डेयरी कोटा रोड बारॉ ने अवमानक (Sub Standard) Pastuerised Deodorised Full Cream Milk (Kota Fresh Gold) 500 मि.ली. का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत श्री विष्णु प्रसाद गौत्तम उम्र 40 वर्ष पुत्र बाबूलाल जाति ब्राह्मामण (विक्रेता व मालिक) मैसर्स विष्णु डेयरी कोटा रोड बारॉ से नियमानुसार वसूल किये जाने हेतु निवेदन किया।

इस पर प्रकरण दिनांक 8.3.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी व अप्रार्थी स्वंय उपस्थित है। बहस उभयपक्ष सुनी गई प्रार्थी ने बहस के दौरान कहा कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य वस्तु Pastuerised Deodorised Full Cream Milk (Kota Fresh Gold) 500 मि0ली0 का विक्रय किया जा रहा था, वह जॉच मे अवमानक (Sub Standard) पाया गया है। अप्रार्थी का उक्त कृतय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी के अभिभाषक ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ Pastuerised Deodorised Full Cream Milk (Kota Fresh Gold) मे से 500 मि0ली0 पेक मे थेलियॉ नमूना होना बताया है जिसमे उत्पादक, पेकिंगकर्ता के साथ सम्पूर्ण विवरण नियमानुसार दर्ज है फिर भी अकेले अप्रार्थी के विरूद्व कार्यवाही प्रस्तुत की गई है। अप्रार्थी द्वारा मूल पेकिंग के साथ किसी प्रकार की छेडछाड नही की है और यह खाद्य निरीक्षक का आरोप भी नही है। इस कारण मूल दायित्व उत्पादनकर्ता का है। कथित जांच रिपोर्ट यद्यपि सक्षम प्राधिकृत प्रयोगशाला द्वारा नही की गई है और जांच रिपोर्ट मे मिल्क फेट 507 प्रतिशत एवं सोलिड नोन फेट 9.27 प्रतिशत मामूली अन्तर से बतायी गयी इससे स्पष्ट है कि परीक्षण की प्रक्रिया मे त्रुटि रही है। रिपोर्ट ग्राह्य नही है। दिनांक 14.6.2017 से 22.6.2017 तक परीक्षण प्रक्रिया का अभिलेख भी प्रस्तुत नही है एवं सब स्टेण्डर्ड होने का कोई कारण दर्ज नही होने से रिपोर्ट प्रथम दृष्टया निरस्तनीय है। अप्रार्थी एक दुकानदार व्यक्ति है जो पेक्ड आयटम उसी स्थिति मे विक्रय करता है जिस स्थिति मे प्राप्त होता है। इस कारण उसके विरूद्व उक्त कार्यवाही किसी भी प्रकार संधारणीय नही है। एफ.एस.एक्ट के नियमों व विनियमों के अधीन प्रस्तुत न होने से कार्यवाही निरस्तनीय है। अप्रार्थी के विरूद्व उक्त कार्यवाही निरस्त फरमाने की कृपा करे।

इसके विपरीत प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कहा गया कि जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक क्रमांक/443/एफएसएसए/कोटा/एक्ट/2017/453 दिनांक 22.6.2017 के बाद अप्रार्थी को खाद्य पदार्थ Pastuerised Deodorised Full Cream Milk (Kota Fresh Gold) की पुनः जांच करवाये जाने हेतु, जर्ये पत्र सूचित किया जाकर, एक माह का समय दिया गया था। किन्तु उसके द्वारा पुनः जांच नही करवायी गई है। है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस को सुना व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से वास्ते नमूना जॉच हेतु खरीदा गया, Pastuerised Deodorised Full Cream Milk (Kota Fresh Gold) 500 मि0ली0 जॉच मे अवमानक (Sub Standard) पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। अप्रार्थी को 5000/— अक्षरे पॉच हजार रूपये के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)